

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 25.02.2022

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1218 /उपायुक्त, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री शिशिर कुमार सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1219 / उपायुक्त, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार पाठक, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, नगरीय प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1220 /उपायुक्त, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, खेलकूद, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।


संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1221 / मिशन निदेशक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. (झा:2008) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1222 /उपायुक्त, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री राहुल कुमार सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पर्यटन, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिन्हा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1223 / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री वाघमारे प्रसाद कृष्ण, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक लोहरदगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1224 / अभियान निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झा:2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गढ़वा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।



संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1225 /उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1226 /उपायुक्त, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य कुमार आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2013) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अभियान निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1227 /निदेशक, खेलकूद, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री जिशान कमर, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार- परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1228 / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती नैन्सी सहाय, भा.प्र.से. (झा:2014) (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक हजारीबाग जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगी।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1229 / उपायुक्त, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री सुशांत गौरव, भा.प्र.से. (झा:2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गुमला जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1230 /निदेशक, नगरीय प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती जाधव विजया नारायण राव, भा.प्र.से. (झा:2015) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगी।


संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1231 / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती आर० रॉनीटा, भा.प्र.से. (झा:2015) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगी।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1232 / आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री नमन प्रियेश लकड़ा, भा.प्र.से. (झा:2015) (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, अनुसूचित जनजातीय सहकारिता विकास निगम तथा महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गिरिडीह जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1233 / नगर आयुक्त, हजारीबाग नगर निगम के पद पर पदस्थापित श्रीमती गरिमा सिंह, भा.प्र.से. (झा:2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, लोहरदगा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 1234 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2016) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।


2. उपर्युक्त स्थानान्तरण-पदस्थापन के क्रम में जो पदाधिकारी प्रभार रहित होंगे वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान करेंगे।
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(रंजीत कुमार लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1/पी0-101/2014 का० - 1234 / राँची, दिनांक 25.02.2022

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्सद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

